कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या– 4125 /XXV –97/2022 देहरादून : दिनांक 09 नवम्बर, 2022

दिनांक 09 नवम्बर 2022 को अपरान्ह 03:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक का एजेण्डा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या–23/2022-ERS(Vol.II) दिनांक 25 जुलाई, 2022 के द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली का **01 जनवरी, 2023 की अर्हता** तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम नियत करते हुए पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों से निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन तक की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। पुनरीक्षण का कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

S.No.	Activity	Period
	Revision Activities	
1.	Publication of Integrated draft electoral roll.	09.11.2022 (Wednesday)
2.	Period for filing claims & objections	09.11.2022 (Wednesday) to 08.12.2022 (Thursday)
3.	Special campaign dates	19.11.2022 (Saturday) 20 .11.2022 (Sunday) 03.12.2022 (Saturday) 04.12.2022 (Sunday)
4.	Disposal of claims and objections	By 26.12.2022(Monday)
5.	(i) Checking of health parameters and obtaining Commission's pennission for final publication (ii) Updating database and printing of supplements	By 03.01.2023(Tuesday)
6.	Final publication of electoral roll	05.01.2023 (Thursday)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 एवं 1951 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 में संशोधन के फलस्वरूप अब निर्वाचक नमावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी है (01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर)

- ✓ **01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण की अवधि दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से 08 दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त फार्म–6, 6क, 7 एवं 8 का सभी ERO के द्वारा 26 दिसम्बर, 2022 तक नियमानुसार निस्तारण कर नामावली में सम्मिलित किया जाएगा, या किसी नाम को हटाया जाएगा और किसी प्रविष्टि को संशोधित–स्थानान्तरित करते हुए निर्वाचक नामावली का 05 जनवरी, 2023 को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा । अर्थात 01 जनवरी, 2023 की अर्हता**

तिथि के सभी परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में परिलक्षित होंगें।

- ✓ 01 अप्रैल, 2023, 01 जुलाई, 2023 एवं 01 अक्टूबर, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर प्राप्त फार्म–6, 6क, 7 एवं 8 का सभी ERO के द्वारा इन अर्हक तिथियों के पश्चात ही नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा और तदनुसार ही ऐसे आवेदनों के सापेक्ष किसी नागरिक का नाम नामावली में सम्मिलित किया जाएगा, या किसी नाम को हटाया जाएगा और किसी प्रविष्टि को संशोधित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा आदि...

- ✓ कोई भी अर्ह नागरिक जो 01 अप्रैल, 2023, 01 जुलाई, 2023 एवं 01 अक्टूबर, 2023 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए दिनांक 09 नवम्बर से 08 दिसम्बर, 2022 तक प्रारूप–6 पर अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे किसी भी नागरिक को पूरे वर्ष प्रतिक्षा करने की आवश्यकता नहीं हैं

- ➢ पुनः यह भी अवगत कराना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम/निर्वाक रजिस्ट्रीकरण नियम में उक्तानुसार संशोधन के फलस्वरूप फार्म–6, 7, 6ख एवं 8 में भी संशोधन हुआ है और संशोधित प्रारूप 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी हो गए हैं। संशोधित फार्मों का उपयोग निम्न प्रकार किया जाएगाः–
    - फार्म–6 प्रथमबार किसी अर्ह नागरिक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए आवेदन।
    - फार्म–6ख, निर्वाचक नामावली प्रमाणन के लिए आधार नम्बर की सूचना प्रदान करना (स्वैच्छिक)
    - फार्म–7 विद्यमान निर्वाचक नामावली से किसी नाम को हटाने या निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने प्रस्ताव पर आक्षेप के लिए आवेदन।
    - फार्म–8
        - विद्यमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अशुद्धि को शुद्ध कराने के लिए,
        - मतदाता फोटो पहचानपत्र बदलने के लिए,
        - PwD Mark करने के लिए,
        - निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर निवास परिवर्तन होने के फलस्वरूप पता बदलने के लिए आवेदन।

- ✓ यह भी स्पष्ट करना है कि, विद्यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किसी भी निर्वाचक को एक बूथ से किसी दूसरे बूथ में या एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम स्थानान्तरित करवाने के लिए फार्म–6 या

फार्म–7 भरने की आवश्यकता नहीं है ऐसे किसी भी निर्वाचक को अब केवल फार्म–8 में ही नियमानुसार आवेदन करना होगा।

✓ उत्तराखण्ड राज्य की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार आलेख्य निर्वाचक नामावली (सर्विस निर्वाचक नामावली सहित) सभी 11647 मतदेय स्थलों, ERO & AERO कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय सहित विभागीय वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर भी सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध है।

✓ मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों को भी आलेख्य निर्वाचक नामावली की दो–दो प्रति (एक हार्ड कॉपी एवं एक साफ्टकॉपी सर्विस निर्वाचक नामावली सहित) संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। मुख्यालय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश पदाधिकारियों को आलेख्य निर्वाचक नामावली की सॉफ्ट कॉपी आज बैठक में उपलब्ध करायी गयी है। आलेख्य निर्वाचक नामावली की सॉफ्ट कॉपी के साथ :–

- दिनांक 05 जनवरी, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक विभिन्न कारणों से हटाए गए निर्वाचकों की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार, मतदेय स्थलवार सूची की सॉफ्टकॉपी,
- वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची की सॉफ्ट कॉपी एवं
- सर्विस निर्वाचक नामावली की सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करायी गयी।

पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों (Pre-Revision Activities) के क्रियान्वयन के संबंध में चरवद्ध कार्यवाही।

1–मतदेय स्थलों का युक्तिकरण/पुनर्निधारण–पुनर्व्यवस्थापनः–

(i) भारत निर्वाचन आयोग के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2022 में जारी दिशा–निर्देशों तथा मतदेय स्थलों के लिए मैनुअल–2020 (Manual on Polling Stations-2020) के अध्याय–2, 3 एवं 4 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों (निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन से पूर्व) के अन्तर्गत सर्व प्रथम वर्तमान मतदेय स्थलों के युक्तिकरण/पुनर्निधारण–पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

(ii) मतदेय स्थलों के युक्तिकरण/पुनर्निधारण–पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही वर्तमान मतदेय स्थलों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही सुनिश्चित की जाएगी तथा भौतिक सत्यापन के उपरान्त मतदेय स्थलों के संशोधन, पुनर्निधारण एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही के समय निम्नलिखित मानदंडो को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगाः–

1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के किसी भी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से अधिक न हो।

2. वर्तमान सहायक मतदेय स्थलों (Auxiliary Polling Stations) को मुख्य मतदेय स्थल में परिवर्तित/समायोजित करना।

3. यदि किसी ग्राम/गली–मुहल्ला, वार्ड (अनुभाग) में निर्वाचकों की संख्या–300 से अधिक हो तो, उस क्षेत्र में उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध होने की दशा में मतदाताओं की सुविधा हेतु नए मतदेय स्थल के प्रस्ताव पर विचार करना।

4. यदि किसी क्षेत्र विशेष में नई आवासीय कॉलौनियां/अपार्टमेंट आदि अस्तित्व में आए हों, तो उनके लिए नया मतदेय स्थल प्रस्तावित करना या नए अनुभाग के रूप में ऐसे अर्ह नागरिकों को निकटत्तम मतदेय स्थल पर पंजीकृत करने की कार्यवाही करना।

5. वर्तमान मतदेय स्थल भवन के क्षतिग्रस्त होने, या जीर्ण–शीर्ण, जर्जर होने की स्थिति में मतदाताओं की सुविधा हेतु उसी क्षेत्र में किसी सरकारी भवन को मतदेय स्थल के रूप में चिन्हित करना।

6. यह सुनिश्चित करना कि, मतदेय स्थल से संबंधित भवन मतदान क्षेत्र से बाहर तो स्थित नहीं है।

7. क्या मतदाताओं को मतदेय स्थल तक पहुँचने के लिए नदियों/नहरों/घाटियों आदि को तो पार नहीं करना पड़ता है।

8. क्या किसी मतदाता को अपने मतदेय स्थल तक पहुँचने में 02 किमी. से अधिक की पैदल दूरी तो तय नहीं करनी पड़ती है।

9. यह सुनिश्चित करना कि, क्या किसी मतदेय स्थल कक्ष का न्यूनत्तम क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर है और इसमें प्रवेश और निकास के लिए अलग–अलग दो दरवाजे हैं।

10. यह सुनिश्चित करना कि, मतदेय स्थल किसी सरकारी भवन के भू–तल पर ही स्थित हैं, कहीं किसी मतदेय स्थल का मतदान कक्ष प्रथम या द्वित्तीय तल पर तो नहीं है।

11. क्या कोई मतदेय स्थल किसी प्राइवेट भवन में तो नहीं है।

12. मतदेय स्थल किसी पुलिस थाना, अस्पताल, धर्मशाला, मंदिर या किसी धार्मिक स्थान में तो स्थापित नहीं है।

13. वर्तमान मतदेय स्थल भवन या मतदेय स्थल के लिए प्रस्तावित भवन की 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत किसी राजनैतिक दल का कार्यालय तो नहीं है।

14. वर्तमान मतदेय स्थल भवन के नाम में कोई परिवर्तन तो नहीं है जैसे–वर्तमान मतदेय स्थल भवन से संबंधित शिक्षण संस्थान के उच्चीकरण के फलस्वरूप नाम परिवर्तित किया जाना हो आदि...

15. क्या अल्पसंख्यंकों, समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि अनु.जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मतदेय स्थल ऐसी रीति से स्थिति है कि, ऐसे समुदायों को मतदेय स्थल पहुँचने एवं मताधिकार का प्रयोग करने में रोका जाता है।

16. वर्तमान मतदेय स्थल भवन या मतदेय स्थल के लिए प्रस्तावित भवन में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे– रैम्प, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, धूप व वर्षा से बचने के लिए शेड, प्रतिक्षा कक्ष/स्थान आदि उपलब्ध है।

17. प्रत्येक मतदेय स्थल भवन का GARUDA App आदि के माध्यम से Latitude & Longitude प्राप्त करने के साथ–साथ भवन का Front View तथा Entry Gate के साथ साफ–साफ फोटोग्राफ प्राप्त करना।

18. प्रत्येक मतदेय स्थल का नजरी नक्शा, Key Map, Cad Map & Google Map View भी तैयार करना।

19. ग्रामीण क्षेत्र में एक भवन पर **दो तथा शहरी क्षेत्र में एक भवन पर चार से अधिक** मतदेय स्थल स्थापित न किए जांय ताकि भविष्य में होने वाले सामान्य/उप निर्वाचनों के दौरान मतदान दिवस पर Crowd Management में कानून एवं व्यवस्था में किसी प्रकार से कोई व्यवधान न हो।

✓ **मतदेय स्थलों के Rationalization के संबंध में अद्यावधिक स्थितिः–**

✓ उपरोक्त बिन्दुओं तथा आयोग द्वारा तद् विषयक समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा राजनैतिक दलों के साथ समय–समय पर बैठक पर मतदेय स्थलों के संबंध में सुझाव एवं संशोधन प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे जिन्हें इस कार्यालय के पत्र संख्या–3993 दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 द्वारा निम्न प्रकार आयोग के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया थाः–

वर्तमान कुल मतदेय स्थल	02 किमी. से अधिक पैदल दूरी के कारण नए प्रस्तावित	मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने पर नए प्रस्तावित	एक ही भवन पर एक से अधिक मतदेय स्थलों में से कतिपय को उसी भवन में दूसरे में समायोजत करना	1500 से अधिक मतदाता होने पर कतिपय अनुभागों को उसी भवन के दूसरे मतदेय स्थल पर समायोजित करना	शिक्षण संस्थान के उच्चीकरण के फलस्वरूप नाम परिवर्तन के प्रस्ताव	भवन के जीर्ण–शीर्ण या क्षतिग्रस्त होने पर परिवर्तन के प्रस्ताव	प्रस्तावित संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप कुल मतदेय स्थल
11647	**42**	**04**	**119**	**63**	**172**	**64**	**11574**

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार राज्य में वर्तमान मतदेय स्थलों के सापेक्ष कुल–73 मतदेय स्थल समायोजित/समाविष्ट होकर कुल–11574 रह जाएंगें।

✓ ***उक्त संबंध में राजनैतिक दलों को निवेदन सहित अवगत कराना है कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2023 की सम्पूर्ण प्रक्रिया को Pilot Project के रूप में उत्तराखण्ड सहित चार राज्यों यथा आसाम, बिहार एवं गोवा में ERO Net Vr.2.0 में सम्पादित करने का निर्णय लिया गया फलस्वरूप तकनीकी कारणों से वर्तमान SSR में मतदेय स्थलों के उपरोक्त संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन प्रस्तावों को स्थगित रखा गया है।***

2. 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित आलेख्य निर्वाचक नामावली के संबंध में प्रमुख बिन्दु/सांख्यकीय आकंड़े :–

Name of District	General Electors as per Draft roll 01.01.2023				Service Electors Draft roll 01.01.2023			Polling Stations		
	Male	Female	TG	Total	Male	Female	Total	Rural	Urban	Total
Uttarkashi	121370	114840	1	**236211**	3317	60	**3377**	32	507	**539**
Chamoli	151334	144764	2	**296100**	10179	161	**10340**	66	508	**574**
Rudraprayag	95105	97053	0	**192158**	5285	52	**5337**	21	340	**361**
Tehri	268890	254381	3	**523274**	5663	73	**5736**	63	888	**951**
Dehradun	779382	709546	76	**1489004**	9372	457	**9829**	1188	685	**1873**
Haridwar	751156	664453	139	**1415748**	2066	129	**2195**	615	1101	**1716**
Pauri	291347	278833	10	**570190**	15796	247	**16043**	197	747	**944**
Pithoragarh	187916	186722	2	**374640**	14166	407	**14573**	59	540	**599**
Bageshwar	109546	106207	0	**215753**	4514	111	**4625**	23	353	**376**

Almora	272626	259177	2	**531805**	7042	212	**7254**	60	851	**911**
Champawat	105885	96764	0	**202649**	2989	113	**3102**	33	300	**333**
Nainital	399959	365289	12	**765260**	5176	272	**5448**	395	610	**1005**
USNagar	663964	608688	44	**1272696**	5712	295	**6007**	653	812	**1465**
Total-	**4198480**	**3886717**	**291**	**8085488**	**91277**	**2589**	**93866**	**3405**	**8242**	**11647**

2.1– विभिन्न आयुवर्गवार निर्वाचकों का विवरणः–

Age Cohort	Male	Female	TG	Total
18-19	42704	33370	9	76083
20-29	884887	744886	97	1629870
30-39	1190880	1039547	73	2230500
40-49	852411	801498	47	1653956
50-59	587803	573863	37	1161703
60-69	368730	377126	20	745876
70-79	197785	221230	6	419021
80+	73280	95197	2	168479
Total	**4198480**	**3886717**	**291**	**8085488**

3. विगत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत दिनांक 05 जनवरी, 2022 को (w.r.t. 01.01.2022) के पश्चात निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान (30 सितम्बर, 2022 तक) जनपदवार परिवर्धन एवं विलोपन का विवरण :–

Name of District	Total Electors in Last Published Final Roll (w.r.t.01.01.2022) Published 05.01.2022				Total Addition since 05.01.2022 to 30.09.2022				Total Deletion since 05.01.2022 to 30.09.2022			
	M	F	TG	Total	M	F	TG	Total	M	F	TG	Total
Uttarkashi	120924	114500	3	235427	799	767	0	1566	353	427	2	782
Chamoli	152551	146161	3	298715	1014	1073	0	2087	2231	2470	1	4702
Rudraprayag	95344	97378	2	192724	931	960	0	1891	1170	1285	2	2457
Tehri	271623	258237	5	529865	1812	1575	1	3388	4545	5431	3	9979
Dehradun	776135	705658	81	1481874	12314	11561	4	23879	9067	7673	9	16749
Haridwar	751231	665660	135	1417026	9108	9097	6	18211	9183	10304	2	19489
Pauri	295006	282102	9	577117	4291	4355	1	8647	7950	7624	0	15574
Pithoragarh	190844	190736	1	381581	2706	2500	1	5207	5634	6514	0	12148
Bageshwar	109930	106834	1	216765	905	823	0	1728	1289	1450	1	2740
Almora	276063	262762	1	538826	3547	3476	1	7024	6984	7061	0	14045
Champawat	106090	97061	0	203151	636	601	0	1237	841	898	0	1739
Nainital	403124	369777	11	772912	4997	4672	2	9671	8162	9160	1	17323
USNagar	675423	622468	48	1297939	12758	13795	6	26559	24217	27575	10	51802
Total-	**4224288**	**3919334**	**300**	**8143922**	**55818**	**55255**	**22**	**111095**	**81626**	**87872**	**31**	**169529**

4. उपरोक्तानुसार 05 जनवरी, 2022 के पश्चात एवं 30 सितम्बर, 2022 तक विभिन्न कारणों से हटाए गए निर्वाचकों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Name of District	Number of Deletion Due to				Net Chane (+/-	% Change over previuos Final roll
	Expired	Shifted	Repeated	Total		
Uttarkashi	145	482	155	782	784	0.33
Chamoli	565	3852	285	4702	-2615	-0.88
Rudraprayag	367	1910	180	2457	-566	-0.29

Tehri	2970	6120	889	9979	-6591	-1.26
Dehradun	1309	12747	2693	16749	7130	0.48
Haridwar	3134	14399	1956	19489	-1278	-0.09
Pauri	3527	11093	954	15574	-6927	-1.21
Pithoragarh	2741	8388	1019	12148	-6941	-1.85
Bageshwar	647	1883	210	2740	-1012	-0.47
Almora	1610	11474	961	14045	-7021	-1.32
Champawat	472	1017	250	1739	-502	-0.25
Nainital	4192	11883	1248	17323	-7652	-1.00
USNagar	11318	35512	4972	51802	-25243	-1.98
Total-	**32997**	**120760**	**15772**	**169529**	**-58434**	**-0.72**

5. दिनांक 05 जनवरी, 2022 के पश्चात निर्वाचक नामावली से हटाए गए कुल 1,69,529 निर्वाचकों की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं मतदेय स्थलवार सूची की PDF सभी राजनैतिक दलों को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करा दी गयी है। और यह सूची **सभी ERO & AERO कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय सहित विभागीय वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर भी सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध है।** सभी राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य से अनुरोध है कि इस सूची की अवश्य जाँच कर यह पुष्टि कर लें कि कहीं त्रुटिवश किसी निर्वाचक का नाम विलोपित तो नहीं हुआ है।

6. अधिक से अधिक युवाओं (18–19 आयुवर्ग) के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का लक्ष्यः–

Name of District	Eligible Electors (18-19 Population-2023)			Registered Electors (Draft Electors 18-19)			GAP (Eligible – Registered)		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Uttarkashi	7144	6560	**13704**	1614	1337	**2951**	5530	5223	**10753**
Chamoli	7775	7208	**14983**	1983	1597	**3580**	5792	5611	**11403**
Rudraprayag	5005	4676	**9681**	1365	1028	**2393**	3640	3648	**7288**
Tehri	13090	12090	**25180**	3398	2844	**6242**	9692	9246	**18938**
Dehradun	31322	27293	**58615**	6960	5721	**12681**	24362	21572	**45934**
Haridwar	43034	37829	**80863**	6087	4477	**10564**	36947	33352	**70299**
Pauri	13005	12109	**25114**	3163	2448	**5611**	9842	9661	**19503**
Pithoragarh	9620	8331	**17951**	2352	1695	**4047**	7268	6636	**13904**
Bageshwar	4867	4760	**9627**	1194	1054	**2248**	3673	3706	**7379**
Almora	11646	11201	**22847**	2822	2071	**4893**	8824	9130	**17954**
Champawat	5685	5097	**10782**	1406	1067	**2473**	4279	4030	**8309**
Nainital	18656	16980	**35636**	3154	2406	**5560**	15502	14574	**30076**
USNagar	35818	31956	**67774**	7206	5634	**12840**	28612	26322	**54934**
Total-	**206667**	**186090**	**392757**	**42704**	**33379**	**76083**	**163963**	**152711**	**316674**

उपरोक्तानुसार 18–19 आयुवर्ग की Projected Population के सापेक्ष विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में 18–19 आयुवर्ग के कुल 3,16,674 युवाओं के नाम निर्वाचक नामावली में

सम्मिलित किए जाने का लक्ष्य है जिसमें लगभग **केवल 1.95 लाख 18 वर्ष के युवा** सम्मिलित हैं।

7. जनपदवार एवं मतदेय स्थलवार 18–19 आयुवर्ग के पंजीकृत निर्वाचकों का विवरण :–

Name Of District	Total Polling Stations	Number of Polling Stations where				
		18-19 Age Enrollment is Zero	18-19 Age Enrollment up to 1%	18-19 Age Enrollment is more than 1 up to 2%	18-19 Age Enrollment is more than 2 up to 5%	18-19 Age Enrollment is more than 5%
उत्तरकाशी	539	27	186	196	129	01
चमोली	574	21	237	221	93	02
रूद्रप्रयाग	361	09	129	159	63	01
टिहरी गढ़वाल	951	41	383	370	157	0
देहरादून	1873	39	1204	551	79	0
हरिद्वार	1716	93	1170	406	47	0
पौड़ी गढ़वाल	944	50	487	328	78	01
पिथौरागढ़	599	14	282	235	67	01
बागेश्वर	376	12	184	136	44	0
अल्मोड़ा	911	49	483	308	71	0
चम्पावत	333	05	133	141	53	01
नैनीताल	1005	44	712	221	28	0
ऊधमसिंह नगर	1465	15	786	582	81	01
योग–	**11,647**	**419**	**6376**	**3854**	**990**	**08**

8. उत्तराखण्ड राज्य में Census Gender Ratio 953 एवं Elector Gender Ratio 926 है इस प्रकार कुल 27 का Gender Gap है। जनपदवार Gender Gap का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	जनपद का नाम	Census Gender Ratio	Elector Gender Ratio	Gap
1.	उत्तरकाशी	958	946	12
2.	चमोली	1019	957	62
3.	रूद्रप्रयाग	1114	1020	94
4.	टिहरी गढ़वाल	1077	946	131
5.	देहरादून	902	910	–8
6.	हरिद्वार	880	885	–5
7.	पौड़ी गढ़वाल	1103	957	146
8.	पिथौरागढ़	1020	994	26
9.	बागेश्वर	1090	970	120
10.	अल्मोड़ा	1139	951	188
11.	चम्पावत	980	914	66
12.	नैनीताल	934	913	21
13.	ऊधमसिंह नगर	920	917	3
राज्य –		**953**	**926**	**27**

उपरोक्त विवरण के अनुसार जनपद टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा में असामान्य Gender Gap परिलक्षित है इन तीनों जनपदों को **विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि**

में शत–प्रतिशत अर्ह महिला नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करवाए जाने के लिए प्रभावी–परिणामात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

9. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार Elector Gender का विश्लेषण किया गया जिसका जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है:–

Name Of District	Total Number of PS where Elector Gender Gap is 50 of More As per AC	Probable Residual Female (Un-Enrolled)	Total Number of PS where Elector Gender Ratio is 50 or More Excess as per AC	Excess Female Electors	Total Number of PS where Elector Gender ratio is Equil as AC
1	2	3	4	5	6
उत्तरकाशी	116	2853	148	2778	03
चमोली	133	4299	187	4328	03
रूद्रप्रयाग	93	2456	107	2490	01
टिहरी गढ़वाल	209	5875	266	6208	01
देहरादून	441	20898	531	20581	16
हरिद्वार	299	12853	359	12736	13
पौड़ी गढ़वाल	223	8392	299	8537	03
पिथौरागढ़	166	4978	162	5056	04
बागेश्वर	100	2532	93	2510	01
अल्मोड़ा	247	6800	239	6632	04
चम्पावत	90	2300	79	2389	01
नैनीताल	236	10006	281	9415	05
ऊधमसिंह नगर	307	13734	332	12834	12
योग–	**2660**	**97976**	**3083**	**96554**	**67**

उपरोक्त तालिका के कॉलम–2 एवं 3 में अंकित विवरण के अनुसार प्रत्येक मतदेय स्थल का संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के औसत Elector Gender Ratio के आधार पर विश्लेषण किया गया जिसमें राज्य में 2660 मतदेय स्थल ऐसे परिलक्षित हुए जहां पर Elector Gender Gap विधान सभा के औसत से 50 और उससे अधिक कम परिलक्षित हुआ है।

उपरोक्त तालिका के कॉलम–2 एवं 3 में अंकित विवरण के अनुसार राज्य में 3083 मतदेय ऐसे परिलक्षित हुए जहाँ पर Elector Gender Gap विधान सभा के औसत से 50 और उससे अधिक परिलक्षित हुआ है, अर्थात इन मतदेय स्थलों का Elector Gender ratio संबंधित विधान सभा के Ratio से अधिक है।

10. उत्तराखण्ड राज्य का EP Ratio (अर्थात प्रतिहजार जनसंख्या पर पंजीकृत निर्वाचकों की कुल संख्या)

Male = 703 (70.30%)

Female = 683 (68.30%)

Total = 693 (69.30%)

10.1– जनपदों का विवरण जिनका EP Ratio राज्य औसत से कम है :–

क्र.सं.	जनपद का नाम	District EP Ratio	Gap as per State average
1.	उत्तरकाशी	675 (67.50%)	18 (1.80%)
2.	देहरादून	681 (68.10%)	12 (1.20%)

3.	हरिद्वार	590 (59.00%)	103 (10.30%)
4.	नैनीताल	664 (66.40%)	29 (2.90%)
5	ऊधमसिंह नगर	593 (59.30%)	10 (1.00%)

उपरोक्त विश्लेषणात्मक तालिका के अनुसार जनपद हरिद्वार को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में अधिक से अधिक अर्ह नागरिकों का नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराए जाने के लिए प्रभावी गुणात्मक कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा है। जनपद नैनीताल को सुधारात्मक/गुणात्मक कार्यवाही के लिए इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। शेष जनपदों का ध्यानआकर्षित कर इस ओर सुधारात्मक/गुणात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

10.2– जनपदों का विवरण जिनका EP Ratio राज्य औसत से अधिक है :–

क्र.सं.	जनपद का नाम	District EP Ratio	Gap as per State average
1.	चमोली	762 (76.20%)	69 (6.90%)
2.	रूद्रप्रयाग	792 (79.20%)	99 (9.90%)
3.	टिहरी गढ़वाल	886 (88.60%)	193 (19.30%)
4.	पौड़ी गढ़वाल	909 (90.90%)	216 (2.16%)
5.	पिथौरागढ़	792 (79.20%)	99 (9.90%)
6.	बागेश्वर	852 (85.20%)	159 (15.90%)
7.	अल्मोड़ा	935 (93.50%)	242 (24.20%)
8.	चम्पावत	708 (70.80%)	15 (1.50%)

उपरोक्त विश्लेषणात्मक तालिका के अनुसार मुख्य रूप से जनपद अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल एवं बागेश्वर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में Booth Level अर्थात धरातल स्तर तक उन सभी संभावित तथ्यों को चिन्हित कर यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं बहुत अधिक संख्या में Duplicate निर्वाचक तो नहीं है या अभी भी ऐसे नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित तो नहीं जो सामान्यतः अब उस क्षेत्र के निवासी नहीं है, या वह कहीं अन्यत्र स्थनान्तरित हो गए हैं या किसी की मृत्यु हो चुकी है आदि...धरातलीय वास्तविक स्थिति के आधार पर तीनों जनपदों को इसकी सघनता से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में जनसंख्या के आंकड़ों की भी समीक्षा की जा सकती है कि, कदाचित Projected Population में ही तो कहीं कोई Discrepancies तो नहीं है। 18^{+} Population के अनुपात में सामान्यतः EP Ratio 70% अपेक्षित है। जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ को भी इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

11. आयोग के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2022 के प्रस्तर–15.3 (ix) (a) में सामान्यतः **2%** से अधिक अपमार्जन की स्थिति में, तथा प्रस्तर–16.4 में किसी मतदेय स्थल में **4%** से अधिक परिवर्धन की स्थिति में उनकी संबंधित ERO/AERO द्वारा समीक्षा कर यह सुनिश्चित

करना होगा कि किसी अनर्ह नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हुआ है या किसी अर्ह निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली से हटाया तो नहीं गया। राज्य के विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत ऐसे मतदेय स्थलों का विवरण निम्न प्रकार है:–

जनपद का नाम	कुल मतदेय स्थल जहां वर्तमान मतदाताओं के सापेक्ष Addition 4% से अधिक हुआ है	कुल मतदेय स्थल जहां वर्तमान मतदाताओं के सापेक्ष Deletion 2% से अधिक हुआ है
उत्तरकाशी	08	21
चमोली	13	142
रूद्रप्रयाग	14	80
टिहरी गढ़वाल	21	274
देहरादून	150	227
हरिद्वार	102	274
पौड़ी गढ़वाल	61	320
पिथौरागढ़	35	276
बागेश्वर	02	80
अल्मोड़ा	53	343
चम्पावत	06	46
नैनीताल	40	287
ऊधमसिंह नगर	188	703
योग–	**693**	**3073**

उपरोक्तानुसार निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया में यद्यपि राज्य की अलग–अलग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल–693 मतदेय स्थलों पर 4% से अधिक परिवर्धन होना परिलक्षित हुआ है किन्तु किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 4% से अधिक परिवर्धन होने का कोई प्रकरण परिलक्षित नहीं हुआ है। इसी प्रकार राज्य की अलग–अलग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल–3073 मतदेय स्थलों पर 2% से अधिक अपमार्जन होना परिलक्षित हुआ है जिसमें से निम्न कुल–11 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अन्तर्गत 2% से अधिक अपमार्जन होना परिलक्षित हुआ है :–

Assembly Constituency		Net change over previous Final roll (+/-)	% Change over previuos Draft roll (+/-)
70	KHATIMA	-2360	-2.01
39	CHAUBATAKHAL	-1926	-2.17
44	PITHORAGARH	-2475	-2.32
12	PRATAPNAGAR	-1947	-2.34
69	NANAKMATA (ST)	-3602	-3.01
43	DIDIHAT	-2804	-3.51
40	LANSDOWNE	-2852	-3.54
52	ALMORA	-3300	-3.80
31	ROORKEE	-4787	-4.11

61	RAMNAGAR	-4844	-4.16
63	KASHIPUR	-9330	-5.62
62	JASPUR	-7455	-5.96

12–निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण की प्रगतिः–

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 तक शत–प्रतिशत निर्वाचकों के आधार एकत्र करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत 70.23% निर्वाचकों का निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण का कार्य ही अभी तक पूर्ण हुआ है जिसका जनपदवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

Name Of District	Total Electors as per Draft Roll as on 01.01.2023	Total Aadhar Collection till now	% Of Aadhar Collection	Target during SSR-2023	% Of Targete
1	2	3	4	5	6
उत्तरकाशी	236211	196207	83.06	40004	16.94
चमोली	296100	233983	79.02	62117	20.98
रूद्रप्रयाग	192158	151281	78.73	40877	21.27
टिहरी गढ़वाल	523274	408572	78.08	114702	21.92
देहरादून	1489004	762420	51.20	726584	48.80
हरिद्वार	1415748	1006932	71.12	408816	28.88
पौड़ी गढ़वाल	570190	425626	74.65	144564	25.35
पिथौरागढ़	374640	291539	77.82	83101	22.18
बागेश्वर	215753	172421	79.92	43332	20.08
अल्मोड़ा	531805	365651	68.76	166154	31.24
चम्पावत	202649	146345	72.22	56304	27.78
नैनीताल	765260	519097	67.83	246163	32.17
ऊधमसिंह नगर	1273696	999079	78.44	274617	21.56
योग–	**8085488**	**5679153**	**70.23**	**2407335**	**29.77**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि(संशोधन) अधिनियम–2021 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के सुसंगत नियमों में दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना के द्वारा परिवर्तन/संशोधन करते हुए निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर सभी निर्वाचकों से आधार संग्रह किए जाने हेतु नया **प्रारूप–6ख** जारी किया गया है।

(i) वर्तमान निर्वाचक एवं निर्वाचक नामावली में पंजीकरण की मांग करने वाले प्रत्येक नागरिक द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा–23 में किए गए संशोधन सम्मिलित हैं।

(ii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के नियम–26बी में निहित प्राविधानों के अनुसार जिस व्यक्ति का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है वह अधिनियम की धारा–23बी की उपधारा (5) के अनुसार प्रारूप–6बी में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपनी आधार संख्या की सूचना दे सकता है। **यह प्राविधान दिनांक 01 अगस्त, 2022 से लागू हो गए हैं।**

(iii) **कार्यक्रम का उद्देश्यः–** धारा–23 में संशोधन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वर्तमान निर्वाचकों से **आधार संख्या संग्रह करने का उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान**

स्थापित करना और निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण तथा एक ही व्यक्ति के नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार के पंजीकरण की पहचान करना है।

(iv) आधार प्रमाणीकरण की पद्धतिः–

a) वर्तमान निर्वाचक फार्म–6ख भरकर पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म को अपने क्षेत्रीय बीएलओ या संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर भी **फार्म–6ख** वितरित/संग्रहीत किए जाएंगें।

b) फार्म–6ख सभी बीएलओ/उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं। फार्म–6ख भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड की विभागीय वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in से हिन्दी अथवा अंग्रेजी में डाउनलोड किया जा सकता है।

c) फार्म–6ख भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.nvsp.in और Voter Help Line App (VHA) के माध्यम से (जैसी भी सुविधा हो) भी भरा जा सकता है। **ऑनलाईन दो तरीकों से भरा जा सकता है :–**

1. **स्वप्रमाणन के साथः**– मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाईन फार्म–6ख भर सकता है और UIDAI में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर ओटीपी का उपयोग करके आधार को प्रमाणित कर सकता है,
2. **स्व प्रमाणीकरण के बिनाः**– यदि कोई निर्वाचक स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता है या स्वयं प्रमाणीकरण में विफल रहता है तो निर्वाचक प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म–6ख ऑन लाईन जमा कर सकता है।

d) <u>ऑफलाईन फार्म–6ख प्रस्तुत करना</u>ः–

- ✓ जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक संख्या में स्थानीय स्तर पर फार्म–6ख (हिन्दी/अंग्रेजी में) मुद्रित कराकर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त बी.एल.ओ. को आवश्यक संख्या में फार्म–6ख आवंटित करते हुए निर्देशित करेंगे कि प्रत्येक बी.एल.ओ. अपने–अपने मतदेय स्थल के अन्तर्गत पंजीकृत शत्प्रतिशत निर्वाचकों से फार्म–6ख प्राप्त कर गरूड़ा एप अथवा ई.आर.ओ. नेट के माध्मय से (जैसी भी सुविधा हो) फार्म प्राप्ति के 7 दिन के भीतर डिजिटाइज्ड कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ आधार संग्रह हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि/ विशेष अभियान तिथियों में शिविर आयोजित कर आधार संग्रह करने की कार्यवाही पर बल दिया जाएगा।
- ✓ **किसी भी निर्वाचक द्वारा अपना आधार प्रस्तुत करना स्वैच्छि है।** यदि किसी निर्वाचक के पास आधार नहीं है और वह अपना आधार प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे निर्वाचकों से फार्म–6ख में उल्लिखित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी भी एक की प्रति जमा करने का अनुरोध किया जाएगा।

- ✓ किसी भी निर्वाचक का नाम इस आधार पर निर्वाचक नामावली से हटाया नहीं जाएगा कि वह अपना आधार संख्या सूचित करने में असमर्थ रहा है।

13– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शत–प्रतिशत निर्वाचकों के यूनिक मोबाईल नम्बर एकत्र करने की अपेक्षा की गयी है। वर्तमान में उत्तराखण्ड निर्वाचक नाामवली डाटाबेस में उपलब्ध मोबाइल नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Total Electors	Electors with Unique Mobile Number	Same Mobile Number With				
		2 Electors	3 Electors	4 Electors	5 Electors	More than 5 Electors
8085488	14,86,084	7,50,036	4,11,081	2,71,888	1,60,240	2,84,189

आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचक का अलग (Separate) मोबाइल नम्बर उपलब्ध होना चाहिए। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में आधार प्रमाणीकरण की तरह प्रत्येक निर्वाचक का मोबाइल नम्बर भी एकत्र किए जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **यूनिक मोबाइल नम्बर की उपलब्धता से कोई भी निर्वाचक ऑन लाईन अपना फोटो पहचान पत्र डॉउनलोड कर सकेगा।**

14– निर्वाचक नामावली में दिव्यांग (PwD) मैपिंग की स्थितिः–

Name Of District	PwD Pensioners in the District as on date	Total PwD Electors as per Draft Roll as on 01.01.2023	Difference PwD marking in Eroll.
1	2	3	4
उत्तरकाशी	4114	3246	868
चमोली	3126	3097	29
रूद्रप्रयाग	2404	2129	275
टिहरी गढ़वाल	7557	6938	619
देहरादून	11085	9831	1254
हरिद्वार	11384	9797	1587
पौड़ी गढ़वाल	6857	5000	1857
पिथौरागढ़	3272	3328	-56
बागेश्वर	2859	2732	127
अल्मोड़ा	6575	5611	964
चम्पावत	2539	2436	103
नैनीताल	6169	5744	425
ऊधमसिंह नगर	11387	11827	-440
योग–	79328	71716	7612

15– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से, BLA को Bulk में इस प्रतिबंध के साथ आवेदन दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है कि, BLA एक समय में/एक दिन में BLO को 10 से अधिक फार्म जमा नहीं करेगा। यदि कोई BLA दावे/आपत्तियों को दाखिल करने की पूरी अवधि के दौरान 30 से अधिक आवेदन/फार्म दाखिल करता है, तो ERO/AERO स्वयं क्रॉस सत्यापन किया जाएगा।

इसके अलावा BLA इस घोषणा के साथ आवेदन फार्मों की सूची भी प्रस्तुत करेगा कि उसने व्यक्तिगत रूप से आवेदन फार्म के विवरणों को सत्यापित किया है और वह संतुष्ट है कि वह सही हैं।

16– समस्त राजनैतिक दलों से राज्य की सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 11647 मतदेय स्थलों पर शीघ्राति–शीघ्र BLA नियुक्त करने का आग्रह है और नियुक्त किए गए BLA की सूची संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय (उप जिलाधिकारी कार्यालय) को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध है। आतिथि तक किसी भी राजनैतिक दल से BLA नियुक्त किए जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि एक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त BLA तब तक BLA के रूप में कार्य करता रहेगा, जब तक कि उसकी नियुक्ति को संबंधित राजनैति दल द्वारा रद्द नहीं किया जाता है।

17–दावों/आपत्तियों की सूची का प्रदर्शन :–

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के नियम–16 में निहित प्राविधानों के अनुसार पुनरीक्षण की अवधि में प्राप्त दावे/आपत्तियों का विवरण ERO के द्वारा साप्ताहिक रूप से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ साझा करने के साथ–साथ कार्यालय के सूचना पट एवं मतदेय स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा और सर्वसाधारण की जानकारी के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाएगा ताकि कोई भी नागरिक सूची देखकर संबंधित ERO के पास अपनी आपत्ति दर्ज कर सकें। दावे/आपत्तियों की सूची निम्न प्रारूपों पर तैयार की जाएगीः–

17.1– फार्म–6 पर प्राप्त आवेदनों की सूची प्रारूप–9 पर,

17.2– फार्म–7 पर प्राप्त आपत्तियों की सूची प्रारूप–10 पर,

17.3– फार्म–8 पर किसी प्रकार के संशोधन, फोटो पहचान पत्र बदलनें या दिव्यांग मैपिंग के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रारूप–11 पर,

17.4– फार्म–8 में एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निवास परिवर्तन संबंधी आवेदनों की प्रारूप–11क (11A) पर एवं,

17.5– फार्म–8 में किसी एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निवास परिवर्तन संबंधी आवेदनों की प्रारूप–11ख (11B) पर तैयार की जाएगी।

18– निर्वाचक पंजीकरण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए फार्म–6, 6क, 7 एवं 8 में प्राप्त सभी आवेदनों को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

19– निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 की प्रति सुलभ संदर्भ के लिए सभी राजनैतिक दलों को उपलब्ध करायी जा रही है।

20– <u>DSEs, PSEs & EPICs आदि की विसंगतियों को हटानाः–</u>

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्वाचक नामावली में परिलक्षित निम्न DSEs, PSEs & EPICs आदि विसंगतियों का 30 सितम्बर, 2022 से पूर्व निस्तारण किया जा चुका हैः–

No. and Name of District		Total DSEs	Total Logical Errors	Repeat EPIC
1	Uttarkashi	6	0	2
2	Chamoli	6	0	0
3	Rudraprayag	1	0	0
4	Tehri Garhwal	12	0	1
5	Dehradun	40	0	26
6	Haridwar	84	01	7
7	Pauri Garhwal	34	0	3
8	Pithoragarh	12	0	0
9	Bageshwar	14	0	2
10	Almora	46	0	3
11	Champawat	13	0	2
12	Nainital	23	0	13
13	Udham Singh Nagar	164	0	29
TOTAL		455	01	88

(ii) उत्तराखण्ड राज्य में सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिलक्षित निम्न PSEs का विधान सभा सामान्य निर्वाचन से पूर्व ही नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है:–

No	AC Name	Total PSE	Verification Completed	VERIFICATION REPORT OUTPUT					CHECKLIST RECEIVED	Form 7		
				ORIGINAL	DUPLICATE	NOT MATCHED	FORM 7 COLLECTED	FORM 8 COLLECTED		RECEIVED	ACCEPTED	REJECTED
1	Uttarkashi	709	709	321	273	115	265	106	353	709	221	402
2	Chamoli	1218	1218	282	904	32	753	539	600	1218	334	865
3	Rudraprayag	654	654	313	254	87	250	61	325	654	7	647
4	Tehri Garhwal	1890	1890	908	856	126	800	121	939	1890	732	1158
5	Dehradun	10248	10248	4933	5178	137	5049	191	5089	10248	4096	6152
6	Haridwar	8605	8605	3977	3950	678	3389	514	4268	8605	2988	5617
7	Pauri Garhwal	3018	3018	1385	1505	128	235	88	1417	3018	924	2094
8	Pithoragarh	1767	1767	805	649	313	616	383	873	1767	614	1153
9	Bageshwar	1017	1017	429	418	170	417	100	506	1017	384	633
10	Almora	3203	3203	1481	1362	360	1289	219	1576	3203	17	3186
11	Champawat	647	647	301	289	57	212	45	320	647	62	585
12	Nainital	4192	4192	2000	1960	232	1567	153	2086	4192	1740	2452
13	U.S.Nagar	8737	8737	4274	3677	786	3336	357	4336	8737	3524	5133
Total		**45905**	**45905**	**21409**	**21275**	**3221**	**18178**	**2877**	**22688**	**45905**	**15643**	**30077**

21– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को पुणे महाराष्ट्र से National Launch of SSR-2023 की गयी।

22– **राजनैतिक दलों अनुरोध है कि राज्य के शत–प्रतिशत अर्ह नागरिकों के नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने, तथा विधान सभा निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाए रखने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अपने बूथ/ब्लॉक/मण्डल/तहसील/जनपद स्तरीय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से अवगत कराते हुए यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।**

दिनांक 09 नवम्बर, 2022

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[1] द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

[2][**स्पष्टीकरण**---इस खंड के प्रयोजनों के लिए] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

[3][(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

[4][**192. सदस्यों की निर्रहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय**---(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।]

193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति---यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

* * * * * *

भाग 15

निर्वाचन

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना---(1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण [5]*** एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) ।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

---

[1] लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 आगे भाग 2 में देखिए ।

[2] संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985) से "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985से) अंतःस्थापित ।

[4] संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 192 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

(4) लोक सभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे ।

(5) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे :

परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल [1]*** निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

325. धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना---संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा ।

326. लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना---लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम [2][अठारह वर्ष] की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा ।

327. विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति---इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा ।

328. किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति---इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहां तक संसद् इस निमित्त उपबंध नहीं करती है वहां तक, किसी राज्य का विधान-मंडल समय-समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा ।

329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन---[3][इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी [4]*** ---
]

---

[1] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 द्वारा (10-8-1975 से) "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 35 द्वारा (20-6-1979 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों में आबंटन से संबंधित है किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं ।

* * * * * *

भाग 16

कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

330. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण---(1) लोक सभा में-

(क) अनुसूचित जातियों के लिए,

[1][(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और]

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए,

स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] की या उस राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य [2][या संघ राज्यक्षेत्र] की कुल जनसंख्या से है ।

[3][(3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा, जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।]

[4][**स्पष्टीकरण**---इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् [5][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह [6][2001] की जनगणना के प्रति निर्देश है ।]

331. लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व---अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा ।

---

[1] संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा (16-6-1986 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 47 द्वारा (3-1-1977से) अंतःस्थापित ।
[5] संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 6 द्वारा "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर-- (1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा ।]

[1][**13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना**-- इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।]

भाग 2ख

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

[2][**13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां**-- (1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो ट्यूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबंध उक्त भाग की निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) भाग 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।]

भाग 3

[3][[4]*** निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

[5][**14. परिभाषाएं**-- इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है; [4]***

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की [6][जनवरी का पहला दिन] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है :]

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 7 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 10 द्वारा "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1956 के अधिनियम सं0 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 11 द्वारा धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 5 द्वारा (1-1-1959 से) "मार्च के प्रथम दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में, "अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी ।]]

15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली---हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं --- (1) यदि कोई व्यक्ति---

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट [2]*** आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

[3][परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।]

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा----एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए [4]*** निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा---किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

[5][**19.रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**---इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो---

(क) अर्हता की तारीख को [6][अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ---[7][(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) अंतःस्थापित।

[2] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा "और अवैध" अंतःस्थापित शब्दों का 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया।

[3] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

[4] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 12 द्वारा "उसी राज्य में" अंतःस्थापित शब्दों का 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया।

[5] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 7 द्वारा धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(1ख) संसद् का या किसी राज्य के विधान-मंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के ...य जिस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन-क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।]

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्य से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में, कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है ।

[1][(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता ।]

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित[2] कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबन्ध लागू हैं [3]*** उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को [4]*** उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण [5]*** न किए होता तो वह, उस तारीख को [6]*** मामूली तौर से निवासी होता ।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, विहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि [7][यदि मेरी सेवा अर्हता] न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण [8]*** न किए होता । जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को [9]*** मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह [7][स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है] ।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति [10]*** की पत्नी, जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से [11]*** निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

[12][(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा ।]

---

[1] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित पदों की अधिसूचना सं0 का0 आ0 959, तारीख 18 अप्रैल, 1960 द्वारा घोषित किया गया :-
(1) भारत का राष्ट्रपति ।
(2) भारत का उपराष्ट्रपति ।
(3) राज्यों के राज्यपाल ।
(4) संघ या किसी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री ।
(5) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य ।
(6) संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री ।
(7) संघ या किसी राज्य के उप मंत्री ।
(8) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष ।
(9) किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति ।
(10) संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल ।
(11) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष ।
(12) राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद् का उप सभापति ।
(13) संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव ।

[3] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) " या नियोजन" शब्दों का लोप किया गया।

[6] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "उस कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

[7] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[9] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

[10] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया ।

[11] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "उस कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया ।

[12] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित मूल उपधारा (7) का, 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा, लोप किया गया था।

(8) उपधाराओं (3) और (5) में "सेवा अर्हता से"--

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है,

अभिप्रेत है ।

[1][**20क. भारत से बाहर निवास कर रहे भारत के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध**--(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक,--

(क) जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है ;

(ख) जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है ; और

(ग) जो भारत में अपने मामूली निवास-स्थान से, अपने नियोजन, शिक्षा या अन्यथा भारत से बाहर रहने के कारण अनुपस्थित रहा है (चाहे अस्थायी रूप से है या नहीं),

ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र की, जिसमें भारत में उसका ऐसा निवास-स्थान जो उसके पासपोर्ट में उल्लिखित है, अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने का हकदार होगा ।

(2) वह समय, जिसके भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और उपधारा (1) के अधीन निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को, यदि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अन्यथा पात्र है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले किसी निर्वाचन में मतदान करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।]

[2][**21. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण**---(1) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से और विहित रीति में तैयार की जाएगी और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने अंतिम प्रकाशन पर तुरन्त प्रवृत्त हो जाएगी ।

[3][(2) उक्त निर्वाचक नामावली का--

(क) विहित रीति में पुनरीक्षण तब के सिवाय जब कि उन कारणों से, जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, निर्वाचन आयोग अन्यथा निदेश दे---

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के हर एक साधारण निर्वाचन से पहले, तथा

(ii) निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थान में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए हर एक उपनिर्वाचन से पहले,

अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा; तथा

(ख) विहित रीति में किसी वर्ष में पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा यदि ऐसा पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है :

परन्तु यदि निर्वाचक नामावली का यथापूर्वोक्त पुनरीक्षण न किया गया हो तो उससे उक्त निर्वाचक नामावली की विधिमान्यता या निरन्तर प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली के ऐसी रीति में, जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निदेश, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी भी समय दे सकेगा :

परन्तु उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अपने उस रूप में, जिसमें वह किसी ऐसे निदेश के निकाले जाने के समय प्रवृत्त है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक ऐसे निर्दिष्ट किया गया विशेष पुनरीक्षण समाप्त न हो जाए ।

[4][**22. निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों की शुद्धि**---यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का समाधान अपने से आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा पर, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, हो जाता है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि---

(क) किसी विशिष्ट में गलत है या त्रुटिपूर्ण है,

---

[1] 2010 के अधिनियम सं0 36 की धारा 2 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 15 द्वारा धारा 21 से धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 9 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 9 द्वारा धारा 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति ने उस निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर अपना मामूली निवास-स्थान बदल दि है नामावली में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए, अथवा

(ग) इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति मर गया है या उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, निकाल दी जानी चाहिए,

तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, ऐसे किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, अध्यधीन रहते हुए [1][तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] उस प्रविष्टि को संशोधित कर सकेगा, अन्यत्र रख सकेगा या निकाल सकेगा :

परन्तु खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी आधार पर कोई कार्यवाही या खंड (ग) के अधीन इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है कोई कार्यवाही करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर सम्पृक्त व्यक्ति को [1][तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] उस व्यक्ति के संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।]

[2][**23. निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना**---(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र नामावली में सम्मिलित नहीं है, उस नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को आवेदन कर सकेगा ।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है तो [3][तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] वह यह निदेश देगा कि उसका नाम उसमें सम्मिलित किया जाए :

परन्तु यदि आवेदक किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस अन्य निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को इत्तिला देगा और वह आफिसर ऐसी इत्तिला प्राप्त होने पर [3][तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] उस नामावली में से आवेदक के नाम को काट देगा ।

(3) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में या उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, जिसमें वह निर्वाचन-क्षेत्र समाविष्ट है, निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति से पूर्व धारा 22 के अधीन कोई भी प्रविष्टि न तो संशोधित की जाएगी, न अन्यत्र रखी जाएगी और न निकाली जाएगी और न इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने के लिए कोई निर्देश ही दिया जाएगा ।]

[4][**24. अपीलें**---यथाविहित समय के अन्दर और रीति में, अपील---

(क) किसी ऐसे आदेश के खिलाफ जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ने धारा 22 या धारा 23 के अधीन किया है, [5][जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी] को होगी ; [6]***

[7][(ख) खंड (क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आफिसर को होगी ।]

25. आवेदनों और अपीलों के लिए फीस---धारा 22 या धारा 23 के अधीन हर आवेदन और धारा 24 के अधीन हर अपील के साथ विहित फीस होगी जो किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी ।]

[8][**25क. सिक्किम के संघ निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**---धारा 15 और 19 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य में संघ निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, मठों के केवल वे संघ, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार होंगे, जिन्हें सिक्किम की सभा बनाने के लिए अप्रैल, 1974 में सिक्किम में किए गए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई थी और उक्त निर्वाचक नामावली को, धारा 21 से 25 तक की धाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी रीति से तैयार किया जाएगा या पुनरीक्षित किया जाएगा, जो सिक्किम सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्दिष्ट की जाए ।]

---

[1] 2010 के अधिनियम सं0 36 की धारा 3 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 10 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 23 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2010 के अधिनियम सं0 36 की धारा 4 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

[4] 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 3 द्वारा (20-9-1961 से) अंतःस्थापित । पूर्ववर्ती धारा 24 का, 1956 के अधिनियम सं0 60 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापन और 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 10 द्वारा लोप किया गया था ।

[5] 2009 के अधिनियम सं0 41 की धारा 2 द्वारा (1-2-2010 से) प्रतिस्थापित ।

[6] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 11 द्वारा (14-12-1966 से) "और" शब्द का लोप किया गया ।

[7] खंड (ख), जिसका 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 11 द्वारा (14-12-1966 से) लोप किया गया था, 2009 के अधिनियम सं0 41 की धारा 2 द्वारा (1-2-2010 से) अंतःस्थापित ।

[8] 1976 के अधिनियम सं0 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अंतःस्थापित ।

भारत सरकार

विधि मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 10 नवम्बर, 1960

केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना) नियम, 1956 को अधिक्रांत करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960[1]

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---(1) ये नियम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये 1961 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं और निर्वचन---(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो---

(क) "अधिनियम" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "घोषित पद" से ऐसा पद अभिप्रेत है जिसकी बाबत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है कि वह ऐसा पद है जिसे धारा 20 की उपधारा (4) के उपबंध लागू हैं;

[2][(खख) "इलैक्ट्रानिक राजपत्र" का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ध) में है ;]

[3][(ग) "प्ररूप" से वह प्ररूप अभिप्रेत है जो इन नियमों से संलग्न है और किसी निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में उसके अंतर्गत उस भाषा में या उन भाषाओं में से किसी में उसका अनुवाद आता है जिसमें उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है ;]

[2][(गग) "प्रवासी निर्वाचक" से धारा 20क में निर्दिष्ट भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जो अर्हता की तारीख को अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो;]

(घ) "रजिस्ट्रीकरण आफिसर" से निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर अभिप्रेत है और उसका सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर इसके अंतर्गत आता है;

(ङ) "नामावली" से निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

[4]* * * * * *

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन नियमों के निर्वचन के लिए ऐसे लागू होगा जैसे वह संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

भाग 2

सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां

3. निर्वाचन-क्षेत्र का अर्थ--- इस भाग में "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ।

4. नामावली का प्ररूप और भाषा--- हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप में और ऐसी भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी जिसे या जिन्हें निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

5. नामावली का भागों में तैयार किया जाना----(1) नामावली सुविधाजनक भागों में विभाजित की जाएगी जो क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे ।

(2) नामावली के अंतिम भाग में सेवा अर्हता रखने वाले ऐसे हर व्यक्ति और उसकी पत्नी के, यदि कोई हो, नाम अंतर्विष्ट होंगे जो उस नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार, नियम 7 के अधीन किए गए कथन के आधार पर हैं ।

(3) घोषित पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी के, यदि कोई हो, नाम की नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार, नियम 7 के अधीन किए गए कथन के आधार पर हैं, नामावली के उस भाग में सम्मिलित किए जाएंगे जो उस स्थान से संबंधित हैं जिसमें ये, उस कथन के अनुसार, मामूली तौर से निवासी होते ।

[2][(3क) धारा 20क के अधीन नामावली में सम्मिलित किए जाने के हकदार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक का नाम, नामावली के उस भाग में सम्मिलित किया जाएगा जो उस स्थान से संबंधित है, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथावर्णित भारत में उसके निवास का स्थान अवस्थित है ।]

(4) नामावली के किसी भाग में सम्मिलित नामों की संख्या मामूली तौर से दो हजार से अधिक न होगी ।

---

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0आ0 2750, तारीख 10 नवंबर, 1960, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (ii), पृ0 633 में प्रकाशित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा खंड (छ) का लोप किया गया ।

6. नामों का क्रम--- (1) जब तक कि मुख्य निर्वाचक आफिसर निर्वाचन आयोग द्वारा निकाले गए किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए किसी भाग की बाबत यह अवधारित न करे कि वर्णक्रम अधिक सुविधाजनक होगा या नाम भागतः एक और भागतः दूसरे क्रम में दर्ज किए जाएं, नामावली के हर एक भाग में निर्वाचकों के नाम गृह-संख्यांक के क्रम में दर्ज किए जाएंगे ।

(2) नामावली के हर एक भाग में निर्वाचकों के नाम यावत्साध्य अंक 1 से आरंभ होने वाली पृथक् अंकमाला के अनुसार क्रमवर्ती रूप में संख्यांकित किए जाएंगे ।

7. धारा 20 के अधीन कथन--- (1) हर व्यक्ति, जो घोषित पद धारण करता है या सेवा अर्हता रखता है और उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए वांछा रखता है जिसमें, यदि वह ऐसा पद धारण न करता या ऐसी अर्हता न रखता तो, वह मामूली तौर से निवासी होता, [1][उस निर्वाचन-क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण आफिसर] को [2][प्ररूप 1, 2, 2क और 3] में से ऐसे एक प्ररूप में कथन देगा जो समुचित हो ।

(2) उपनियम (1) के अधीन दिया गया हर कथन उस प्ररूप में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(3) हर ऐसा कथन तब विधिमान्य न रह जाएगा जब उसे करने वाले व्यक्ति का, यथास्थिति, घोषित पद धारण करना या सेवा अर्हता रखना समाप्त हो जाता है ।

8. निवास गृहों के अधिभोगियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी--- रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली की तैयारी के प्रयोजन के लिए प्ररूप 4 में निवेदनपत्र निर्वाचन-क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निवास गृहों के अधिभोगियों को भेज सकेगा और किसी ऐसे पत्र को पाने वाला हर व्यक्ति उसमें मांगी गई जानकारी को अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार देगा ।

[1][**8क. प्रवासी निर्वाचकों के रूप में व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए नोटिस देने की रीति**--लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 36) के प्रारंभ पर और ऐसे अन्य समयों पर, जो निर्वाचन आयोग निदेशित करे, मुख्य निर्वाचन आफिसर, नामावली में प्रवासी निर्वाचकों के नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए, धारा 20क के अधीन प्रवासी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति से [2][नियम 8ख के अधीन आवेदन करने का] अनुरोध करने वाली एक लोक अधिसूचना जारी करेगा और ऐसी अधिसूचना की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार के सभी विदेश स्थित मिशनों को भेजी जाएगी और वह ऐसा प्रचार भी करेगा जिसे वह समीचीन और आवश्यक समझे ।

8ख. प्रवासी निर्वाचकों के नाम नामावली में सम्मिलित करना--(1) प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक जो रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा निरर्हित न हो तथा जो उस स्थान से संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथावर्णित भारत में उसके निवास का स्थान अवस्थित है, रजिस्ट्रीकृत होने का इच्छुक हो, प्ररूप 6क में संबंधित रजिस्ट्रीकरण आफिसर को सीधे आवेदन कर सकेगा या डाक द्वारा उसे आवेदन भेज सकेगा ।

(2) नियम 13 के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंध प्रवासी निर्वाचक के रूप में नाम सम्मिलित करने या किसी प्रविष्टि की किन्हीं विशिष्टियों या किसी प्रविष्टि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के संबंध में दावा या आपत्तियों को फाइल करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(3) डाक द्वारा भेजे गए प्ररूप 6क के प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त प्ररूप में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होंगी, जो [3][स्वयं द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित] होंगी ।

(4) रजिस्ट्रीकरण आफिसर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत प्ररूप 6क में प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त प्ररूप में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होंगी, जिसके साथ रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सत्यापन के लिए उनकी मूल प्रतियां संलग्न की जाएंगी ।

(5) जहां किसी प्रवासी निर्वाचक के रूप में नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए किसी दावे या आपत्ति के संबंध में कोई व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक है तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर, यदि आवश्यक समझा जाए तो इस प्रयोजन के लिए संबद्ध देश में भारतीय मिशन के किसी पदधारी को पदाभिहित कर सकेगा ।]

9. कुछ रजिस्टरों तक पहुंच--- किसी नामावली की तैयारी या नामावली की बाबत किसी दावे या आक्षेप के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकरण आफिसर और एतद्द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति की पहुंच किसी जीवन-मृत्यु के रजिस्टर तक और किसी शैक्षणिक संस्था के प्रवेश रजिस्टर तक होगी और ऐसे रजिस्टर के भारसाधक हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त आफिसर या व्यक्ति को ऐसी जानकारी और उक्त रजिस्टर में से ऐसे उद्धरण दे जैसे वह अपेक्षित करे ।

10. नामावली के प्रारूप का प्रकाशन--- जैसे ही निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली तैयार हो जाए रजिस्ट्रीकरण आफिसर उसके प्रारूप को---

(क) उस दशा में, जिसमें उसका कार्यालय निर्वाचन-क्षेत्र में है अपने कार्यालय में, तथा

(ख) उस दशा में, जिसमें उसका कार्यालय निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर है निर्वाचन-क्षेत्र में ऐसे स्थान में जैसा इस प्रयोजन के लिए उस द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, [4][या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर की शासकीय वेबसाइट में],

उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और प्ररूप 5 में सूचना संप्रदर्शित करके, प्रकाशित करेगा :

[5][परंतु जहां ऐसे प्ररूप में प्रवासी निर्वाचकों के नाम अंतर्विष्ट हैं, वहां ऐसी नामावलियों की प्रतियां इलैक्ट्रानिक राजपत्र में [6][या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में] भी प्रकाशित की जाएंगी ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] शुद्धिपत्र, अधिसूचना सं0 का0आ0 306(अ), तारीख 9 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं. 426 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] अधसूचना सं. 426 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।

[5] अधिसूचना सं0 का0आ0 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

[6] अधिसूचना सं0 का0आ0 426(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।

11. नामावली और सूचना का अतिरिक्त प्रचार--- रजिस्ट्रीकरण आफिसर---

(क) प्ररूप 5 में सूचना की प्रति के सहित नामावली के एक पृथक् भाग की प्रति जनता की पहुंच वाले विनिर्दिष्ट स्थान में, और उस क्षेत्र में या उसके निकट, जिससे उस भाग का संबंध है, निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध करेगा,

(ख) प्ररूप 5 वाली सूचना का ऐसा अतिरिक्त प्रचार भी करेगा जैसा वह आवश्यक समझे, तथा

(ग) नामावली के हर एक पृथक् भाग की दो प्रतियां भी ऐसे हर राजनैतिक दल को [1][जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने राज्य में प्रतीक अनन्यतः आरक्षित किया है,] खर्च लिए बिना देगा।

[2][**12. दावे और आक्षेप दाखिल करने के लिए कालावधि**--- नामावली में नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए हर दावा और उसमें की किसी प्रविष्टि पर हर आक्षेप नामावली के प्ररूप के नियम 10 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के अंदर या पन्द्रह दिन से अनधिक उतनी लघुतर कालावधि में जितनी इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा नियत की जाए दाखिल किया जाएगा :

परंतु निर्वाचन आयोग पूरे निर्वाचन-क्षेत्र की बाबत या उसके किसी भाग की बाबत इस कालावधि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकता है ।]

13. दावों और आक्षेपों के लिए प्ररूप---(1) हर दावा---

(क) प्ररूप 6 में होगा, [3][तथा]

(ख) उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराना चाहता है, [4]***

[4]* * * * * *

(2) नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने की बाबत हर आक्षेप---

(क) प्ररूप 7 में होगा, [3][तथा]

(ख) केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका नाम पहले से ही उस नामावली में सम्मिलित है, [4] * *

[4]* * * * * *

(3) नामावली में की किसी प्रविष्टि की विशिष्टि या विशिष्टियों की बाबत हर आक्षेप---

(क) प्ररूप 8 में होगा ; और

(ख) केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध है ।

[5][(4) किसी प्रविष्टि को नामावली के एक भाग से दूसरे भाग में अन्यत्र रखने के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 8क में होगा ।]

14. दावे और आक्षेप दाखिल करने की रीति--- हर दावा या आक्षेप---

(क) या तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर के या ऐसे अन्य आफिसर के, जो इस निमित्त उस द्वारा अभिहित किया जाए, समक्ष उपस्थित किया जाएगा, या

(ख) रजिस्ट्रीकरण आफिसर को [6]* * * डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

15. अभिहित आफिसरों की प्रक्रिया---(1) नियम 14 के अधीन अभिहित हर आफिसर---

(क) प्ररूप 9 में दावों की सूची, नामों के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेपों की प्ररूप 10 में सूची और विशिष्टियों की बाबत आक्षेपों की प्ररूप 11 में सूची, दो प्रतियों में रखेगा, तथा

(ख) अपने कार्यालय में सूचना-पट्ट पर हर एक ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित रखेगा ।

(2) जहां कि कोई दावा या आक्षेप उसके समक्ष उपस्थित किया जाता है वहां वह उपनियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् ऐसी टिप्पणियों के सहित, यदि कोई हों, जिन्हें करना वह उचित समझता है, उसी रजिस्ट्रीकरण आफिसर के पास भेजेगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 2791, तारीख 24 नवंबर, 1961 द्वारा "जिसके लिए प्रतीक आबंटित किया गया है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 35 (अ), तारीख 21 जनवरी, 1977 द्वारा नियम 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 817(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1993 द्वारा अंतःस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 817(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1993 द्वारा "तथा" शब्द और खंड (ग) का लोप किया गया ।

[5] अधिसूचना सं0 का0आ0 934(अ), तारीख 18 अगस्त, 2003 द्वारा अंतःस्थापित ।

[6] अधिसूचना सं0 का0आ0 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा "रजिस्ट्रीकृत" शब्द का लोप किया गया ।

16. रजिस्ट्रीकरण आफिसर की प्रक्रिया---रजिस्ट्रीकरण आफिसर भी,---

(क) प्ररूप 9, 10 और 11 में तीन सूचियां दो प्रतियों में रखेगा और सीधे नियम 14 के अधीन किए गए या नियम 15 के अधीन भेजे गए हर दावे या आक्षेप की विशिष्टियां उन सूचियों में वैसे ही और तब प्रविष्ट करेगा जैसे ही और जब वह दावा या आक्षेप उसे प्राप्त हो, तथा

(ख) अपने कार्यालय में सूचना-पट्ट पर हर एक ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित रखेगा :

[1][परंतु जहां कोई दावा या आपत्ति, प्रवासी निर्वाचक के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, वहां ऐसे दावों या आपत्तियों की एक सूची उसके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और साथ ही ऐसे रूप में, जैसा निर्वाचन आयोग आदेश करे, इलैक्ट्रानिक राजपत्र में [2][या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में] भी प्रकाशित की जाएगी ।]

17. कुछ दावों और आक्षेपों का खारिज किया जाना---जो कोई दावा या आक्षेप एतस्मिन विनिर्दिष्ट कालावधि के अंदर या प्ररूप और रीति में दाखिल नहीं किया गया है वह रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा खारिज कर दिया जाएगा ।

18. जांच के बिना दावों और आक्षेपों का प्रतिग्रहण---किसी दावे या आक्षेप की विधिमान्यता के बारे में यदि रजिस्ट्रीकरण आफिसर का समाधान हो जाता है तो उस तारीख से, जिसको वह नियम 16 के खंड (ख) के अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित सूची में प्रविष्ट किया जाता है, एक सप्ताह के अवसान के पश्चात् किसी अतिरिक्त जांच के बिना वह उसे अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु जहां कि किसी ऐसे दावे या आक्षेप के अनुज्ञात किए जाने के पूर्व किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण आफिसर से जांच की मांग लिखित रूप में की है, वहां अतिरिक्त जांच के बिना वह अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

19. दावों और आक्षेपों की सुनवाई की सूचना---(1) जहां कि कोई दावा या आक्षेप नियम 17 या नियम 18 के अधीन नहीं निपटाया जाता वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर---

(क) दावे या आक्षेप की सुनवाई की तारीख, समय और स्थान नियम 16 के खंड (ख) के अधीन अपने द्वारा प्रदर्शित सूची में विनिर्दिष्ट करेगा, तथा

(ख) (i) दावे की दशा में, प्ररूप 12 में दावेदार को,

(ii) नाम के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता को प्ररूप 13 में और उस व्यक्ति को प्ररूप 14 में जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, तथा

(iii) प्रविष्टियों में विशिष्टि या विशिष्टियों की बाबत आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता को प्ररूप 15 में सुनवाई की सूचना देगा ।

(2) इस नियम के अधीन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप में या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या निर्वाचन-क्षेत्र के अंदर व्यक्ति के निवास या अंतिम ज्ञात निवास पर लगा कर दी जाएगी ।

20. दावों और आक्षेपों की जांच---(1) रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे हर दावे या आक्षेप की संक्षिप्त जांच करेगा जिसकी बाबत नियम 19 के अधीन सूचना दी गई है और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा ।

(2) सुनवाई में, यथास्थिति, दावेदार या आक्षेपकर्ता और वह व्यक्ति, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, और कोई अन्य व्यक्ति जिसकी बाबत रजिस्ट्रीकरण आफिसर की यह राय है कि यह संभाव्यता है कि वह व्यक्ति मेरे लिए सहायक होगा, उपसंजात होने और सुने जाने का हकदार होगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण आफिसर स्वविवेक में---

(क) यह अपेक्षा किसी दावेदार, आक्षेपकर्ता या उस व्यक्ति से, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, कर सकेगा कि तुम मेरे समक्ष स्वयं उपसंजात हो,

(ख) यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निविदत्त साक्ष्य शपथ पर दिया जाए और उस प्रयोजन के लिए शपथ दिला सकेगा ।

21. जो नाम अनवधानता से छूट गए हैं उन्हें सम्मिलित करना--- [3][(1)] रजिस्ट्रीकरण आफिसर को यदि यह प्रतीत होता है कि किन्हीं निर्वाचकों के नाम तैयारी के दौरान [4]*** अनवधानता या गलती के कारण, नामावली में से छूट गए हैं

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 426(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 21 को उस नियम के उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

[1][(4) यदि रजिस्ट्रीकरण आफिसर को कोई आवेदन या उसके आक्षेप प्राप्त हुए हों तो वह उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाए तो, वह नामावली में जैसा आवश्यक हो, प्रविष्टियों के समावेश, निकाले जाने, संशोधन या अन्यत्र रखने का निदेश देगा :

परंतु जब रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी आवेदन को नामंजूर कर देता है तो वह ऐसे नामंजूर किए जाने के अपने कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में अभिलिखित करेगा ।]

27. [2]* नियम 26 के अधीन आदेशों से अपीलें---** [3][(1) धारा 24 के अधीन हर अपील,---

(क) [4][अपीलार्थी] द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में ;

(ख) अपीलित आदेश की प्रति के साथ[5] [6][पांच रुपए की फीस सहित] जो कि---

(i) न्यायिकेतर स्टांपों के रूप में दी जाएगी; या

(ii) मुख्य निर्वाचन आफिसर के नाम में सरकारी खजाने में या भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाएगी; या

(iii) ऐसी अन्य रीति में दी जाएगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे; और]

[7][(ग) मुख्य निर्वाचन आफिसर के समक्ष उस आदेश की तारीख से, जिसके खिलाफ अपील की गई है पन्द्रह दिन की कालावधि के अंदर उपस्थित करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे भेजी जाकर कि उक्त कालावधि के अंदर उसके पास पहुंच जाए,]

की जाएगी:

[8][परंतु यदि मुख्य निर्वाचन आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि अपील को विहित समय के भीतर प्रस्तुत न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त हेतुक है तो वह उसे विलंब से अपील प्रस्तुत करने के लिए माफ कर सकेगा।]

[9][(1क) जहां कि फीस उपनियम (1) के खंड (ख) (ii) के अधीन जमा की जाती है वहां अपीलार्थी फीस जमा करने के सबूत के रूप में सरकारी खजाने की रसीद अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न करेगा ।]

[10][(2) अपील की बाबत उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस दशा में, जिसमें कि अपील का ज्ञापन मुख्य निर्वाचन आफिसर को स्वयं या उस द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य आफिसर को अपीलार्थी द्वारा या उसकी ओर से परिदत्त किया गया है मुख्य निर्वाचन आफिसर के समक्ष उपस्थित की गई है ।]

28. अधिसूचित निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचकों के लिए अभिज्ञान-पत्र [11]*** --(1) निर्वाचन आयोग मतदान के समय निर्वाचकों का प्रतिरूपण रोकने और उनका अभिज्ञान सुकर बनाने की दृष्टि से, राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा उपनियम (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा "आवेदनों का अग्रहण" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 2315, तारीख 21 सितंबर, 1961 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा "आवेदक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] अधिसूचना सं0 का0आ0 370, तारीख 25 जनवरी, 1968 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा "एक रुपए की फीस सहित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] अधिसूचना सं0 का0आ0 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित ।
[9] अधिसूचना सं0 का0आ0 370, तारीख 25 जनवरी, 1968 द्वारा अंतःस्थापित ।
[10] अधिसूचना सं0 का0आ0 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] अधिसूचना सं0 का0आ0 1505, तारीख 21 अप्रैल, 1969 द्वारा लोप किया गया ।

पत्रांक संख्या

पत्रांक सं० 4110/XXV– दिनांक 7/11/22

क्र.सं.	राजनैतिक दल उत्तराखण्ड।		प्राप्ति
	नाम एंव पद नाम		
1	प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कार्यालय बलवीर रोड़, देहरादून।	7/11/22	
	प्रदेश अध्यक्ष, नेशनलिष्ट कांग्रेस पार्टी, 23, शान्तिकुन्ज लेन,1 नत्थनपुर जोगीवाला देहरादून।	7.11.2022 6398966139	
	प्रदेश अध्यक्ष इण्डियन नेशनल,कांग्रेस, कांग्रेस भवन राजपुर रोड़, देहरादून।	7/11/22 9412901199	
	प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, गॉधी रोड़ देहरादून	9837459042	
	सचिव, कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया, 4/5 केन्ट रोड़, हाथी बड़कला, देहरादून।	Surbhi Gupta 8329441739	Surbhi 7/11/22
	सचिव, कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट) 81– न्यू पार्क रोड़, देहरादून।	कार्यालय बन्द पाया गया 7/11/2022	7/11/22 मनोज यादव
6			

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001
email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 4110 /XXV-97/2022 देहरादून दिनांक 07 नवम्बर, 2022

सेवा में,

प्रदेश अध्यक्ष / महासचिव / सचिव,
मान्यता प्राप्त समस्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल,
उत्तराखण्ड।

विषयः– विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2023 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–बैठक का आयोजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का दिनांक 01.01.2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को उत्तराखण्ड राज्य की समस्त 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन किया जाना है।

विधान सभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी पदाभिहित स्थलों पर निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन के संबंध में दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को समय अपरान्ह 03:00 बजे निम्न प्रकार बैठक आहूत की गयी है :–

बैठक का दिनांक एवं समय – 09 नवम्बर, 2022 अपरान्ह 03:00 बजे
बैठक का स्थान – सचिवालय परिसर स्थित, विश्वकर्मा भवन के प्रथम तल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय कक्ष।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार नियत दिनांक, समय एवं स्थान पर बैठक में स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें, अथवा अपने किसी प्रतिनिधि को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अधिकृत करने का कष्ट करें। बैठक में प्रतिभागं करने वाले महानुभावों के नाम एवं Mobile नम्बर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 की प्रातः 11 बजे तक इस कार्यालय के Email Address-election09@gmail.com में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सचिवालय में प्रवेश हेतु https://egatepass-uk.in में प्रविष्टियां दर्ज कर egatepass प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या–4110 / XXV-97/2022 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को महोदय के संज्ञानार्थ।

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।